

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड कार्पोरेट कार्यालय, ऋषिकेश  
16.09.2020 के अनुसार सीएजी-कार्रवाई रिपोर्ट की स्थिति

क्र.सं.	एटीएन नं.	ऑडिट पैरा	लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण	जवाब की स्थिति	वर्तमान अवस्थिति
1	2014 की रिपोर्ट संख्या 13 दिनांक 05.09.2014	2014 की रिपोर्ट संख्या 13 पर एटीएन, केंद्र सरकार (वाणिज्यिक)- अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन) पैरा संख्या: 13.1 (ख) अवकाश नकदीकरण पर पीएफ योगदान टीएचडीसीआईएल से संबंधित है	सीपीएसई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ-साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निर्देशों का अनुपालन करते हुए अवकाश नकदीकरण पर भविष्य निधि में कर्मचारियों के अंशदान के कारण अपने कर्मचारियों को 41.21 करोड़ रुपये का लाभ दिया।	ऑडिट पैरा पर प्रबंधन का जवाब विद्युत मंत्रालय को दिनांक: 06.01.2014 के पत्र सं. टीएचडीसी/वित्त/ए/एफ-58/861 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था एवं इसके बाद का जवाब विद्युत मंत्रालय को दिनांक: 11.08.2014 के पत्र सं. टीएचडीसी/ऋषि/वित्त/आईए/एफ-58/1099 और दिनांक: 19.11.2014 के पत्र सं.- टीएचडीसी /ऋषि/वित्त/बीयूडी/एफ-61/2068-69 (एटीएन उत्तर), दिनांक: 10.11.15 के पत्र संख्या: टीएचडीसी /ऋषि /वित्त/ बीयूडी/2018, दिनांक: 08.10.2015 के पत्र संख्या 2254, दिनांक: 08.12.2015	अवकाश नकदीकरण पर पीएफ अंशदान से संबंधित पैरा संख्या 13.1 (ख) टीएचडीसीआईएल/ डब्ल्यूपी/नंबर: 174/2016 से संबंधित है  मामला नैनीताल उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मामला 06.05.2016 को सूचीबद्ध किया गया था जब अदालत ने 3 सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगा दी थी।  रिट याचिका को 27.04.2018 को डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें निम्नानुसार आदेश पारित

				<p>टीएचडीसी/ऋषि/वित्त/बीयूडी/2730, दिनांक: 17.05.2016 के पत्र संख्या: 456, 457-59, दिनांक 15.06.2016 के पत्र सं. टीएचडीसी/ऋषि/ विधि एवं माध्य./1441, दिनांक: 23.07.2016 के पत्र सं.टीएचडीसी /ऋषि/सीपी/पॉलिसी/101/1674 के माध्यम से दिए गए।</p>	<p>किया गया था: "मामले को 18 मई 2018 को सूचीबद्ध करें। "अंतरिम आदेश पोस्टिंग की अगली तारीख तक जारी रहेगा" विषयगत मामला 18.05.18 और 05.12.18 को सूचीबद्ध किया गया था लेकिन अदालत द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकी। चूंकि, 27.04.2018 से पहले मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए अंतरिम स्टे के संबंध में दिनांक 27.04.2018 अभी भी जारी है, स्थिति विधि एवं प्रशा विभाग ऋषिकेश द्वारा बताई गई है। वर्तमान अवस्थित की सूचना विधि एवं माध्य. विभाग द्वारा दी गई थी । वर्तमान स्थिति की सूचना विद्युत मंत्रालय को मा.सं. विभाग द्वारा भी दिनांक 13.11.2019 के पत्र संख्या</p>
--	--	--	--	--	---

					796, दिनांक 30.06.2020 के मा.सं.पत्र संख्या 190, दिनांक 28.07.2020 के पत्र संख्या 297 द्वारा उपलब्ध करवाई गई।
2	रिपोर्ट संख्या: 13/2019 पैरा संख्या: 7.9	रिपोर्ट संख्या: 13/2019 की स्थिति, पैरा संख्या: 7.9 डीपीई द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अनुलाभों का अनियमित भुगतान	डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को अनुलाभों और भत्तों के भुगतान पर पर 15.99 करोड़ रु. व्यय किए	एटीएन पर प्रबंधन का उत्तर दिनांक: 23.12.2019 के पत्र संख्या: टीएचडीसी/ ऋषि/वित्त/बीयूडी/1427, दिनांक: 28.05.2020 के पत्र सं. टीएचडीसी/ ऋषि/वित्त /बीयूडी/112 के माध्यम से विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।	नवीनतम जवाब दिनांक: 28.05.2020 के पत्र संख्या 112 द्वारा उप सचिव बजट एमओपी को भेजा गया।
3	2019 की रिपोर्ट संख्या 18 पैरा संख्या 1.3.2	पैरा संख्या 1.2.2 सरकारी कंपनियाँ द्वारा घोषित लाभांश में कमी।	सरकार द्वारा घोषित लाभांश में रिपोर्ट नं. 18/2019 के माध्यम से कम गिरावट।	एटीएन को प्रबंधन ने दिनांक: 01.07.2020 के पत्र संख्या टीएचडीसीआईएल/ ऋषि/वित्त /बीयूडी/92 के माध्यम से विद्युत मंत्रालय को जवाब सौंप दिया है।	एटीएन का नवीनतम उत्तर एमओपी को पत्र संख्या: टीएचडीसी/ऋषि/वित्त /बीयूडी/92 दिनांक: 01.07.2020 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।
4	2019 की रिपोर्ट संख्या 18 पैरा संख्या 4.5, 2.3	रिपोर्ट संख्या 18/2019 के सीएसआर के संबंध में पैरा संख्या 4.5.5.3	सीएसआर फंड का उपयोग	एटीएन को प्रबंधन ने पत्र संख्या टीएचडीसीआईएल/ ऋषि/वित्त/बीयूडी/273 दिनांक: 02.07.2020 के माध्यम से विद्युत मंत्रालय को जवाब सौंप दिया है।	एटीएन का नवीनतम जवाब एमओपी को दिनांक: 02.07.2020 के पत्र संख्या: टीएचडीसी/ ऋषि/वित्त /बीयूडी/273 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।
5.	2019 की रिपोर्ट संख्या 18 पैरा संख्या 4.5,3.4	रिपोर्ट संख्या 18/2019 के सीएसआर के संबंध में पैरा संख्या 4.5.3.4	सीएसआर- स्थानीय क्षेत्र का खुलासा	एटीएन को प्रबंधन ने दिनांक: 02.07.2020 के पत्र संख्या टीएचडीसीआईएल/	एटीएन का नवीनतम उत्तर एमओपी को दिनांक: 02.07.2020 के पत्र संख्या:

				ऋषि/वित्त/बीयूडी/273 के माध्यम से विद्युत मंत्रालय को जवाब सौंप दिया है।	टीएचडीसी/अ/बीयूडी/273 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।
6.	2019 की रिपोर्ट संख्या 18 पैरा संख्या 4.5, 3.5	रिपोर्ट संख्या 18/2019 के सीएसआर के संबंध में पैरा संख्या 4.5.3.5	स्वच्छ भारत योजनाओं का सीएसआर-वित्तपोषण	एटीएन को प्रबंधन ने दिनांक: 02.07.2020 के पत्र संख्या टीएचडीसीआईएल/ ऋषि/वित्त/बीयूडी/273 के माध्यम से ऊर्जा मंत्रालय को जवाब सौंप दिया है।	एटीएन के अतिरिक्त प्रश्नों का नवीनतम उत्तर एमओपी को दिनांक: 02.09.2020 के पत्र संख्या: टीएचडीसी/ ऋषि/वित्त /बीयूडी/610 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।
7	2019 की रिपोर्ट संख्या 18 पैरा संख्या 4.5.5	रिपोर्ट संख्या 18/2019 के सीएसआर के संबंध में पैरा संख्या 4.5.5	सीएसआर रिपोर्टिंग एवं घोषणा	एटीएन को प्रबंधन ने दिनांक: 02.07.2020 के पत्र संख्या टीएचडीसीआईएल/ ऋषि/वित्त/ बीयूडी/273 के माध्यम से विद्युत मंत्रालय को जवाब सौंप दिया है।	एटीएन को नवीनतम उत्तर एमओपी को दिनांक: 02.07.2020 के पत्र संख्या: टीएचडीसी/ ऋषि/वित्त /बीयूडी/273 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

